

**कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक :- 1148

दिनांक :- 23/12/16

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर।
वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल,
जमशेदपुर।
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर।

विषय :- मेसर्स यू0सी0आई0एल0, जादूगोड़ा माईनिंग लीज का जमशेदपुर वन प्रमंडल अन्तर्गत मौजा—इचड़ा, मेचुआ एवं भाटीन में 100.681 हे0 भूमिगत एवं 33.743 हे0 सतही कुल 134.424 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- (1) भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र सं0—8—01/2016-FC दिनांक—27.10.2016
(2) राज्य सरकार, राँची का ज्ञापांक—5279 दिनांक—21.11.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रतियाँ आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा दी गई पृच्छा का निराकरण के क्रम में कंडिकावार सूचना/प्रतिवेदन यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन का पूर्ण व्यौरा के साथ यह भी स्पष्ट रहे कि किस आदेश से यह उल्लंघन हुआ, ताकि संबंधित जिम्मेवारी का निर्धारण हो सके।

अनु0यथोक्त।

विश्वासभाजन,

 23/12/16

उप निदेशक,

बंजर भूमि विकास बोर्ड, राँची।

22-12

6/1

पत्र संख्या- वन भूमि -21/2015 -

व0प0

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक.....

विषय:-

मेसर्स UCIL, जादूगोड़ा, माईनिंग लीज का जमशेदपुर वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-इचड़ा, मेचुआ एवं भाटीन में 100.681 हे० भूमिगत एवं 33.743 हे० सतही कुल 134.424 हे० वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वरीय सहायक वन मानिरीक्षक (एफसी), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-8-01/2016-FC दिनांक-27.10.2016 की छायाप्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा की गई पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

झापांक- वन भूमि -21/2015 - 5279

व0प0 दिनांक- 21/11/16

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/महाप्रबंधक (माईस) U.C.I.L, P.O.- जादूगोड़ा, माईस, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड-832107 को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

सरकार के उप सचिव

157

F. No. 8-01/2016-FC
Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj,
New Delhi: 110003,

Dated: 27 October, 2016

To
(Sukhdev Singh)
The Principal Secretary (Forest),
Government of Jharkhand
Ranchi

Sub: **Diversion of 134.424 ha of forest land for Jaduguda Uranium Ore Mining and Uranium Ore Processing Plant Project in Village Ichra, Mechuya and Tilaitand, Tehsil Dhalbhumgarh, District East Singhbhum Jharkhand by M/s Uranium Corporation of India Limited(UCIL).**

Sir,

I am directed to refer to the State Govt. of Jharkhand's letter No Van Bhoomi -21/2015-4310 Ranchi dated 19.09.2016 forwarding compliance report as sought by this Ministry's letter of even number dated 27.05.2016 issued on the recommendation of Forest Advisory Committee in its meeting held on 03.05.2016.

After examination of the compliance thus submitted, it is observed that the reply is incomplete and has not satisfactorily addressed the issues indicated in this office letter dated 27.05.2016. In view of above, it is requested that the State Govt. of Jharkhand may submit complete para-wise report specifying the violation committed with period of continued violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and who allowed violation as referred in para (i), (ii) and (iii) of the PCCF's letter no.794 dated 10.08.2016, so that responsibility may be fixed and appropriate decision may be taken by this Ministry per the existing guidelines and rules.

Yours faithfully,

(Rajagopal Prashant)
Assistant Inspector General of Forest (FC)

Copy to:

1. The Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Government of Jharkhand, Ranchi.
2. The Addl. Principal Chief Conservator of Forest, Eastern Regional Office, Ranchi.
3. The Nodal Officer (FCA), Office of the PCCF, Government of Jharkhand, Ranchi
4. User agency
5. Monitoring Cell FC Division
6. Guard file.

(Rajagopal Prashant)
Assistant Inspector General of Forest (FC)